

0

**Arbitration and Conciliation (Amendment) Bill, 2022 (Amendment of section 20)**

**श्री हनुमान बेनीवाल (नागौर):** सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूँ कि माध्यस्थम और सुलह अधिनियम, 1996 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

**माननीय सभापति :** प्रश्न यह है:

?कि माध्यस्थम और सुलह अधिनियम, 1996 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।?

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

**श्री हनुमान बेनीवाल:** सभापति महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूँ।

---

**माननीय सभापति :** आइटम नम्बर 200, श्री ओम पवन राजेनिबालकर।

**14.15 hrs**